

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता धीरज कुमार राय पुत्र राजन राय निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ०नि० श्री मोतीलाल यादव, का० उमेश कुमार, का० बहादुर सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 151 वाहनों से 1,99,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 151 वाहनों से 1,99,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामलों में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व कुल 1000-1000 रु० के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 07.04.2025 को मा० *मा० न्यायालय – जे०एम० जनपद संतकबीरनगर द्वारा चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व 1000-1000 रु० के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु०अ०सं० 148/2020 धारा 380 भादवि के मामलों में अभियुक्त नाम पता 01- आदिल उर्फ आजाद पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्ले निवासी सरायमीर कसरि टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 02- राजेश उर्फ फैजान पुत्र शौकत अली निवासी शम्शाबाद थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3780 भा०द०वि० के अपराध में 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000-1000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदायगी करने पर 03-03 दिवस साधारण कारावास भुगतना होगा।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.04.2025*

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामलों में 02 अभियुक्तगणों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व कुल 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 07.04.2025 को मा0 *मा0 न्यायालय – जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2020 धारा 147/336/380/411 भादवि के मामलों में अभियुक्त नाम पता 01- आदिल उर्फ आजाद पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्ले निवासी सरायमीर कसरि टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 02- राजेश उर्फ फैजान पुत्र शौकत अली निवासी शम्शाबाद थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 147 भादवि में 02-02 वर्ष के साधारण कारावास, धारा 336 भादवि में 03-03 माह के साधारण कारावास, धारा 380 भा0द0वि0 के अपराध में 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड तथा धारा 411 भा0द0वि0 के अपराध में 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदायगी करने पर 03-03 दिवस साधारण कारावास भुगतना होगा ।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.04.2025*

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामलों में 02 अभियुक्तगणों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व कुल 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 07.04.2025 को मा0 *मा0 न्यायालय – जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2020 धारा 147/336/379/411 भादवि के मामलों में अभियुक्त नाम पता 01- आदिल उर्फ आजाद पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्ले निवासी सरायमीर कसरि टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 02- राजेश उर्फ फैजान पुत्र शौकत अली निवासी शम्शाबाद थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 147 भादवि में 02-02 वर्ष के साधारण कारावास, धारा 336 भादवि में 03-03 माह के साधारण कारावास, धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध में 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड तथा धारा 411 भा0द0वि0 के अपराध में 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदायगी करने पर 03-03 दिवस साधारण कारावास भुगतना होगा ।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.04.2025*

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामलों में 02 अभियुक्तगणों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व कुल 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 07.04.2025 को मा0 *मा0 न्यायालय – जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2020 धारा 380 भादवि के मामलों में अभियुक्त नाम पता 01- आदिल उर्फ आजाद पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्ले निवासी सरायमीर कसरि टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 02- राजेश उर्फ फैजान पुत्र शौकत अली निवासी शम्शाबाद थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3780 भा0द0वि0 के अपराध में 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदायगी करने पर 03-03 दिवस साधारण कारावास भुगतना होगा।

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.04.2025*

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 4100रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 07.04.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 133/2001 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- भुवर कोईरी पुत्र सतीराम निवासी नैनाडीहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2-पटई पुत्र छितई निवासी चकदही थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/8 सीएस एक्ट के अपराध के लिये जेल में बितायी गयी अवधि व 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड। धारा 5/8 सीएस एक्ट के अपराध के लिये जेल में बितायी गयी अवधि व 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम में 50-50 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 दिवस का कारावास भुगतना होगा।

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 19 स्थानों पर लगवाये गये
167 सीसीटीवी कैमरे***

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में आज दिनांक 07.04.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से *19 स्थानों पर कुल 167 सीसीटीवी कैमरें* लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 03 स्थान पर 27 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 32 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 13 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 स्थान पर 27 कैमरा, थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 14 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 स्थान पर 18 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 स्थान पर 33 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, ***आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।***